कोर्टफ़ीस सहित

न्यायालय श्रीमान [redacted] महोदय , राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

निगरानी प्र. क्रं. :-

संस्थित दिनांक :- 02.11.2015

नि. 3562 - II - 15

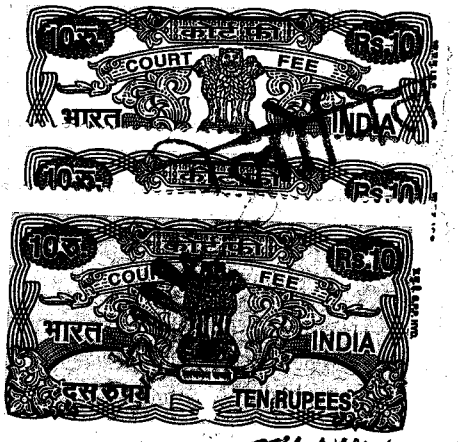




श्री अजय श्रीवास्तव (Adv) को द्वारा आज दि. 2/11/15 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अजय श्रीवास्तव (Adv) सागर

नरेन्द्र सिंग बाधवा बल्द स्व0 श्री सरदारी लाल बाधवा
उम्र 49 वर्ष साकिन - न्यू शान्ति नगर कॉलौनी मागंज
वार्ड नं. 4 दमोह (म. प्र.) जिला - दमोह म. प्र.

.... निगरानी/पुर्नरीक्षणकर्ता

विरुद्ध
=======

1. मध्यप्रदेश शासन
2. रामप्रसाद बल्द गोकल प्रसाद काछी
साकिन मागंज वार्ड नं. 04 मुश्की बाबा मंदिर के थोड़ी आगे दमोह
3. मंदिर श्री गौर राधा रमण जी द्वारा मुहन्तिमकार श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल बल्द श्री भैया लाल अग्रवाल
साकिन असाटी वार्ड नं. 01 दमोह
4. हरी शंकर तिवारी बल्द श्री शिव शंकर तिवारी
साकिन तीन गुल्ली , हनुमान मंदिर के पास दमोह
5. श्रीमति शान्ति बाई जैन पति श्री विजय कुमार जैन
साकिन एस. बी. आई. शाखा पथरिया के पास , पथरिया जिला - दमोह (म. प्र.)
6. श्रीमति आरती दुबे पति श्री प्रदीप दुबे
साकिन मलैया मील के आगे मागंज वार्ड नं. 04 दमोह
7. परषोत्तम तिवारी बल्द श्री सालिग राम तिवारी
साकिन सिविल वार्ड नं. 08 दमोह
8. श्रीमति मालती जैन पति श्री रूपचंद जैन
साकिन मागंज वार्ड नं. 01 दमोह
9. कपिल जैन बल्द श्री कमल जैन
साकिन नैमी नगर दमोह
10. मोहन गुप्ता बल्द श्री बद्री प्रसाद गुप्ता
साकिन पुरानी गल्ला मण्डी दमोह

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3562-II/15 जिला दमोह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 18/11/15 | 1– मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र. क्र. 332/अ–6/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 30.10.15 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।<br>2– आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से विद्वान के.के. द्विवेदी उपस्थित दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किए गए।<br>3– प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 450/1 की रकवा 0.063 हे0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि. 08.07.91 से क्रय कर आवेदक द्वारा कब्जा प्राप्त किया था। जिसके नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार दमोह द्वारा नामांतरण निरस्त किए जाने से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होनें प्रकरण प्रत्यावर्तित किया तथा नामांतरण आदेश विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने पर पुनः अपील अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने दिनांक 12.03.15 को विस्तृत व्याख्या करते हुए आवेदक का नामांतरण इस आधार पर किया कि आवेदक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर और प्रथम बार हुए विक्रयपत्र को मान्यता देते हुए नामांतरण का अधिकारी है तथा अनावेदक पक्ष द्वारा क्रय की गई भूमि में सिविल न्यायालय की अनुमति नहीं लिए जाने से नामांतरण वैद्य नहीं है। इस आधार पर आवेदक का आवेदन स्वीकार किया गया किंतु द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित किए जाने वाले व्यक्ति के नाम विवादित भूमि, भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज न होने का आधार लेते हुए अपील स्वीकार की गई इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>4– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 08.07.1991 को भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज रामप्रसाद द्वारा आवेदक को विक्रय की गई थी जिसके संबंध में आवेदक द्वारा संशोधन पंजी क्र. 33 की | |

[क्र. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | छायाप्रति प्रस्तुत की गई है आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर इस तथ्य पर बल दिया है कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की वैद्यता की जांच की जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इस आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बिना किसी विधिक आधार के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि–सम्मत आदेश को निरस्त कर गंभीर विधिक त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक वादग्रस्त जमीन का भूमि स्वामी हो गया था। परंतु उसका नाम राजस्व अभिलेख में न होने से पूर्व खाताधारी द्वारा विवादित भूमि अनावेदक क्र.3 मंदिर के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र लेख किया था जिन्होनें सक्षम प्राधिकारी न्यायधीश(व्यवहार न्यायालय) की अनुज्ञा के बिना अनावेदक क्र.10 को विक्रयपत्र निष्पादित किया है जिसकी उन्हें अधिकारिता ही नहीं थी। सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के अभाव में ऐंसा विक्रयपत्र शून्य होने से वे नामांतरण के अधिकारी नहीं थे। जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.03.15 में विस्तृत व्याख्या करते हुए अपना निष्कर्ष दिया है और आवेदक को किए गए प्रथम विक्रय पत्र को मान्य करते हुए नामांतरण किए जाने के निर्देश दिए थे किंतु अपर आयुक्त सागर द्वारा बिना किसी विधिक आधार के आवेदक के पक्ष में किए गए नामांतरण आदेश को वैद्य नहीं माना है इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>5– अनावदेक अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि, रामप्रसाद जिन्होंने आवेदक के नाम विक्रयपत्र निष्पादित किया है उसे विक्रयपत्र निष्पादित किए जाने की कोई अधिकारिता नहीं थी। संशोधन पंजी फर्जी तैयार की है अपर आयुक्त सागर द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किए जाने से उन्होंने पारित आदेश की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया है।<br>6– आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया यह निर्विवाद है कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 08.07.1991 के तहत क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था यह भी निर्विवाद है कि आवेदक प्रथम क्रेता होने से नामांतरण का अधिकारी है आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज शुदा भूमि क्रय कर मालकाना हक प्राप्त किया था, जिसकी वैद्यता की जांच राजस्व | |

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3562-II/15 जिला दमोह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | न्यायालय द्वारा किया जाना संभव नहीं है इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विधिवत न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए यह मान्य कर अपना निष्कर्ष दिया है तथा विवादित भूमि दानपत्र उपरांत देवभूमि(मंदिर) समक्ष प्राधिकारी(दीवानी न्यायालय) की अनुज्ञा के बिना हस्तांतरित किए जाने का कोई प्रावधान न होने से अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रदत्त की गई अनुमति अमान्य कर अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा पारित आदेश विस्तृत व्याख्या उपरांत पारित किया जाना पाया जाता है जिसमें मैं किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। | |
| | 7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.15 निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.15 स्थिर रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। | |
| | सदस्य | |

[कृ. प. उ.